प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 14 जनवरी, 2016**

विषयः- के0जी0एम0यू0 परिसर में टाइप-5 के 72 नग आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-116/योजना अनुभाग/2015 दिनांक 06.04.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0 परिसर में टाइप-5 के 72 नग आवासों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-3593/71-3-2008-सी0एम0यू0-75/2008, दिनांक 05.11.2008, शासनादेश संख्या-1445/71-3-2009-सी0एम0यू0-75/2008, दिनांक 20.04.09, शासनादेश संख्या-4200/71-3-2009-सी0एम0यू0-75/2008, दिनांक 28.10.09 एवं शासनादेश संख्या-273/71-3-2010-सी0एम0यू0-75/2008, दिनांक 28.02.10 एवं शासनादेश संख्या-1645/71-3-2010-सी0एम0यू0-75/2008, दिनांक 17.05.10 एवं शासनादेश संख्या-3560/71-3-2010-सी0एम0यू0-75/2008, दिनांक 20.10.10 एवं शासनादेश संख्या-1290/71-3-2011-सी0एम0यू0-75/2008, दिनांक 25.04.11 एवं शासनादेश संख्या-934/71-2-2012-सी0एम0यू0-75/2008, दिनांक 27.03.12 एवं शासनादेश संख्या-2593/71-2-2012-सी0एम0यू0-75/2008, दिनांक 23.07.12 द्वारा अब तक रू0 3756.74 लाख की धनराशि अवमुक्त् की जा चुकी है।

2- उक्त परियोजना हेतु के0जी0एम0यू के पत्र दिनांक 06.04.2015 द्वारा प्रेषित पुन: पुनरीक्षित आगणन प्रस्ताव रू0 4593.62 लाख के सापेक्ष रू0 4384.26 लाख (रूपया तैतालीस करोड चौरासी लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 322.56 लाख (रूपया तीन करोड बाइस लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु जारी की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
4) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
6) विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
7) प्रायोजना में फायर फाइटिंग इक्यूपमेन्ट, डी0जी0 सेट, ट्रान्सफार्मर एवं लिफट का प्राविधान किया गया है। इन कार्यमदों के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिडयूल आफ रेटस उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय एवं तकनीकी नियमों के आधार पर किया जायेगा।
8) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

9) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो इसे कार्यदायी संस्था/ चिकित्सा विश्वविद्यालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगी।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/51/दस-2016, दिनांक 11 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 4/2016/4151 (1)/71-2-15-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना अभियन्ता, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जन लिगम लि0, लखनऊ।
8) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।